भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3546

10 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई के अंतर्गत निधियां

3546. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत महाराष्ट्र को आबंटित और संस्वीकृत निधियों का जिला- वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र से पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निधियां आवंटित करने के लिए नए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा निधियों के संवितरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं सहित मौसमानुकूल 'पक्के' आवास उपलब्ध कराने हेतु जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमवाई-यू) 'सबके लिए आवास' मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों को पूरा करने में सहायता प्रदान कर रहा है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड के आधार पर यह योजना चार घटकों अर्थात, लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी); साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी); स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

महाराष्ट्र राज्य में पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का जिलावार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

महाराष्ट्र राज्य को बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर घटक के तहत 10,935 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से अब तक केवल 2,605.38 करोड़ रुपये जारी किए जा सके हैं, जिसमें वर्ष 2022 के दिसम्बर माह में जारी किए गए 917 करोड़ रुपये शामिल हैं। दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय सहायता का राज्य ने अभी तक उपयोग नहीं किया है और बाद की निधियों का दावा करने हेतु निर्धारित अनुपालन प्रस्तुत किया जाना है।

पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुसार, बीएलसी/एएचपी/आईएसएसआर घटक के तहत, अनिवार्य अनुपालन पूरा होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 40%, 40% और 20% की 3 किस्तों में केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। इसलिए, केंद्रीय सहायता का 80% राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवासों/परियोजनाओं के पूरा होने से पहले जारी किया जाता है और 20% पूरा होने पर जारी किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। योजना दिशानिर्देशों के पैरा 14.7 के अनुसार, तेज गति से बढ़ने वाली परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने को प्राथमिकता देने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीलेपन का अधिकार दिया गया है।

पीएमएवाई-यू, जो पहले दिनांक 31.03.2022 तक थी, को फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए, सीएलएसएस घटक को छोड़कर, दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

***

दिनांक 10-08-2023 लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3546 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र राज्य में पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय सहायता जारी (करोड़ रुपये में)
1	अहमदनगर	478.96	433.28
2	अकोला	277.43	154.02
3	अमरावती	434.44	267.05
4	औरंगाबाद	1,286.64	580.99
5	बीड	304.46	142.59
6	भंडारा	98.31	46.70
7	बुलढाणा	179.96	94.08
8	चंद्रपुर	176.70	108.63
9	धुले	136.75	114.34
10	गडचिरोली	70.51	32.46
11	गोंदिया	90.36	40.91
12	हिंगोली	181.36	76.41
13	जलगांव	638.14	511.07
14	जालना	243.10	136.87
15	कोल्हापुर	291.88	259.35
16	लातूर	291.43	152.75
17	मुंबई*	1,684.77	362.75
18	नागपुर	1,317.37	706.28
19	नांदेड़	465.54	248.24
20	नंदुरबार	68.49	52.72
21	नासिक	1,563.62	1,532.95
22	उस्मानाबाद	152.07	66.88
23	पालघर	1,574.38	1,078.97
24	परभनी	348.34	158.37
25	पुणे	4,861.81	4,122.53
26	रायगढ़	1,635.06	1,160.61
27	रत्नागिरि	100.79	90.85
28	सांगली	205.56	161.78
29	सतारा	468.06	261.60
30	सिंधुदुर्ग	34.59	28.96
31	सोलापुर	995.38	484.21
32	ठाणे	4,909.38	3,827.04
33	वर्धा	144.06	76.13
34	वाशिम	78.82	41.98
35	यवतमाल	320.73	166.12
कुल		**26,109.21**	**17,780.51**

* मुंबई शहर और उप शहर भी शामिल हैं

*****